न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. निगरानी.............

II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/2043

01– राममणि पाण्डेय तनय स्व. पारसनाथ पाण्डेय

02– गुरूप्रसाद पाण्डेय तनय स्व. रामस्वयम्बर पाण्डेय

03– सिद्धमुनि पाण्डेय तनय स्व. पारसनाथ पाण्डेय

04– रामचरित पाण्डेय तनय स्व. रामस्वयम्बर पाण्डेय

05– मनोज तनय स्व. ठाकुर प्रसाद पाण्डेय

06– बेवा रामरती पति स्व. पारसनाथ पाण्डेय

07– बेवा पार्वती पति स्व. ठाकुर प्रसाद पाण्डेय .

08– बेवा सुशीला पति स्व. रामस्वयम्बर पाण्डेय

09– ओमप्रकाश पाण्डेय तनय स्व. ठाकुर प्रसाद

10– सुरेश प्रसाद तनय स्व. पारसनाथ पाण्डेय

सभी निवासी ग्राम व थाना सगरा, तहसील हुजूर जिला–रीवा (म.प्र.)

.............**आवेदकगण**

बनाम

01– रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी तनय द्वारिका प्रसाद द्विवेदी ग्राम टटिहरा, तहसील हनुमना, हाल मुकाम 24/252 द्वारिका नगर, रीवा (म.प्र.)

..................**अनावेदक**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई. विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्र. /24/अ6अ/87–88 आदेश दिनांक 01.01.1988 एवं न्यायालय

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/2043/2018/रीवा/भू.रा. **राममणि पाण्डेय/रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
01/11/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर.एस.सेंगर एवं अनावेदक श्री रामेश्वर प्रसाद के विलम्ब आवेदन पर श्रवण किये गये तर्को पर मनन किया । प्रस्तुत निगरानी डिप्टी कमीश्नर रियासत रीवा के मिसल नम्बरी 1170/1936-37 में पारित आदेश दिनांक 11-12-1937 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । विलम्ब के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पर तथा अनावेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता एवं धारा 5 के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया । लगभग 81 वर्षो के विलम्ब के संबंध में आवेदन में लिखा गया है कि तहसील कार्यालय में जन चर्चा के दौरान आवेदक को जानकारी हुई तत्पश्चात नकल घर के पुराने बक्से में ढूंढने पर दिनांक 01/03/18 को मिली है तब आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई है । विलम्ब माफ करने के संबंध में दर्शाये गये उपरोक्त कारण उचित नहीं है विधि के अनुसार विलम्ब के संबंध में दिन प्रतिदिन का कारण तथा जानकारी का दिनांक और स्त्रोत साबित किया जाना आवश्यक है । विधि का अनुशरण नहीं होने से विलम्ब माफ किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है । लिहाजा यह निगरानी 81 वर्षो के विलम्ब का उचित आधार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारणअग्राहय की जाती है । सदस्य 01/11/18	